राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम बनवारी लाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	456/2025	
17/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी की गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/11/2025 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
18/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि खसरा नम्बर 287, 288, 294,295 के खातेदार है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुत्रो ने अपने पिता के विरुद्ध घोषणा एवं विभाजन का दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द करवा दिया, जो गलत है	विवादग्रस्त भूमि में पिता के जीवनकाल में पुत्र को कोई अधिकार सृजित नही होते है	विधि के प्रावधानों के अनुसार भी एक रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसके खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में प्रतिबन्धित नही किया जा सकता किन्तु इस विधिक प्रावधान की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से आदेश दिनांक 12/03/2025 पारित किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है	रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि के खातेदार नही है एवं रेस्पो. के पिता अभी जीवित है	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/03/2025 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अपीलार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है	अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/03/2025 अपास्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. का विवादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से आदेश दिनांक 09/01/2025 पारित किया है	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09/01/2025 पारित किये जाने के पश्चात अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/01/2025 को उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. के सभी बिन्दु का जवाब नही दिया गया	विवादग्रस्त भूमि रेस्पो. के दादा सेडू की भूमि थी, जिस कारण विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि थी	रेस्पो. के पिता द्वारा रेस्पो. की भाभी को हिस्से से अधिक भूमि गिफ्ट कर दी गयी, जबकि पैतृक भूमि को गिफ्ट डीड नही किया जा सकता है	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर एवं दोनों पक्षों राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम बनवारी लाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की सुनवाई करते हुए सही रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटी जाहिर नही होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किया गया विवेचन एवं तय किया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/03/2025 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर